वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 42

प्रत्यक्ष कर

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	...	2725.01	2725.01	...	2845.00	2845.00	...	2735.31	2735.31	...	2975.85	2975.85
	पूंजी	...	*5.09*	*5.09*	...	*1677.00*	*1677.00*	...	*1608.00*	*1608.00*	...	*903.70*	*903.70*
	जोड़	**...**	**2730.10**	**2730.10**	**...**	**4522.00**	**4522.00**	**...**	**4343.31**	**4343.31**	**...**	**3879.55**	**3879.55**
आय और व्यय पर करों का संग्रहण													
1. आय कर का संग्रहण	2020	...	2127.56	2127.56	...	2404.03	2404.03	...	2311.34	2311.34	...	2514.59	2514.59
2. निगम कर का संग्रहण	2020	...	334.75	334.75	...	369.85	369.85	...	355.59	355.59	...	386.86	386.86
3. व्यय कर का संग्रहण	2020	...	12.48	12.48	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4. ब्याज कर का संग्रहण	2020	...	13.87	13.87	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-आय और व्यय पर करों का संग्रहण		**...**	**2488.66**	**2488.66**	**...**	**2773.88**	**2773.88**	**...**	**2666.93**	**2666.93**	**...**	**2901.45**	**2901.45**
सम्पदा शुल्क, धन कर और उपहार कर और प्रतिभूति संबंधी लेन-देन का संग्रहण													
5. धन कर का संग्रहण	2031	...	221.93	221.93	...	7.11	7.11	...	6.83	6.83	...	7.44	7.44
6. प्रतिभूति लेनदेन कर	2031	...	...	...	...	14.22	14.22	...	13.68	13.68	...	14.88	14.88
7. अन्य करों का संग्रहण	2031	...	15.26	15.26	...	49.79	49.79	...	47.87	47.87	...	52.08	52.08
8. तैयार-निर्मित आवास की खरीद													
8.01 कार्यालय भवन	4059	...	7.42	7.42	...	1663.00	1663.00	...	1561.59	1561.59	...	877.70	877.70
8.02 आवासीय भवन	4216	...	...	...	...	15.00	15.00	...	47.41	47.41	...	27.00	27.00
जोड़- तैयार-निर्मित आवास की खरीद		...	*7.42*	*7.42*	...	*1678.00*	*1678.00*	...	*1609.00*	*1609.00*	...	*904.70*	*904.70*
9. आय कर अधिनियम के अंतर्गत अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण													
9.01 सकल व्यय	4075	...	1.88	1.88	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
9.02 घटाइए-बिक्री प्राप्तियां	4075	...	-4.21	-4.21	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00	...	-2.00	-2.00
	निवल	...	*-2.33*	*-2.33*	...	*-1.00*	*-1.00*	...	*-1.00*	*-1.00*	...	*-1.00*	*-1.00*
जोड़-सम्पदा शुल्क, धन कर और उपहार कर और प्रतिभूति संबंधी लेन-देन का संग्रहण		**...**	**242.28**	**242.28**	**...**	**1748.12**	**1748.12**	**...**	**1676.38**	**1676.38**	**...**	**978.10**	**978.10**
10. वास्तविक वसूलियां	2020	...	-0.84	-0.84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		...	***2730.10***	***2730.10***	...	***4522.00***	***4522.00***	...	***4343.31***	***4343.31***	...	***3879.55***	***3879.55***

1-7. यह मांग आयकर विभाग की आवश्यककताओं के लिए है, जो केन्द्री सरकार द्वारा लगाये व संग्रहित किये जाने वाले सभी प्रत्यक्ष करों, नामत: आय पर कर (निगमित क्षेत्र की आय सहित), संपदा शुल्क, धन कर, प्रतिभूति संव्यवहार कर आदि के लिए प्रबंध करता है। कर संग्रहण के प्रयोजन के लिए देश को विभिन्न प्रभारों में बांटा गया है। विभाग में व्यापक अपवंचन वाले मामलों की जांच, निरीक्षण, अनुसंधान, सांख्यिकी तथा प्रकाशन के लिए अलग-अलग निदेशालय भी हैं।

8. यह प्रावधान प्रत्यक्ष कर संगठन के लिए कार्यालय हेतु बने बनाए भवनों तथा बने बनाए रिहायशी भवनों की खरीद के लिए है।

9. यह प्रावधान आयकर अधिनियम,1961 के अध्याय XXC में यथा परिकल्पित केन्द्र सरकार द्वारा अचल संपत्तियों की अग्रक्रय खरीद के लिए है। ऐसी खरीद हेतु आदेश उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उन संपत्तियों के संबंध में दिये जाते हैं जिसका प्रत्यक्ष प्रतिफल निर्धारित सीमा से अधिक है। तथापि, आयकर अधिनियम,1961 का यह अध्याय 01.07.2002 से समाप्त कर दिया गया है। यह प्रावधान इस अधिनियम के तह्त केन्द्र सरकार द्वारा पहले से ही अधिग्रहीत संपत्तियों के रख-रखाव एवं मरम्मत तथा ऐसी ही संपत्तियों हेतु जमानत खर्च के लिए किया गया है।